

मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक: 16.11.2022

मीरजापुर पुलिस द्वारा ₹25 हजार का ईनामिया गैंगेस्टर एक्ट का शातिर अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों/वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं ।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 16.11.2022 को प्रभारी निरीक्षक अहरौरा-कुमुद शेखर सिंह, प्रभारी निरीक्षक एसओजी टीम-सत्येन्द्र यादव एवं प्रभारी स्वाट/सर्विलांस-30नि0 राजेश जी चौबे मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना अहरौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-188/2022 धारा 3(1)30प्र0गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण)अधिनियम से सम्बन्धित ₹25 हजार के ईनामियां अभियुक्त दिनेश पुत्र शिवचन्द निवासी नई बाजार थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार कर कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया । उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-217/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त दिनेश उपरोक्त पेशेवर एवं शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध थाना अहरौरा पर गोवध एवं पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित अभियोग भी पंजीकृत है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

दिनेश पुत्र शिवचन्द निवासी नई बाजार थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-42 वर्ष ।

विवरण बरामदगी —

01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस ।

आपराधिक इतिहास —

1.मु0अ0सं0-122/2021 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना अहरौरा, मीरजापुर ।

2.मु0अ0सं0-10/2022 धारा 279,429 भादवि व 3/5ए/8 गोवध अधिनियम थाना अहरौरा, मीरजापुर ।

3.मु0अ0सं0-188/2022 धारा 3(1)30प्र0गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण)अधिनियम थाना अहरौरा, मीरजापुर ।

4.मु0अ0सं0-217/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना अहरौरा, मीरजापुर ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

1.प्रभारी निरीक्षक अहरौरा- कुमुद शेखर सिंह मय पुलिस टीम ।

2.निरीक्षक सत्येन्द्र कुमार यादव प्रभारी एसओजी मय टीम ।

3.30नि0 राजेश जी चौबे प्रभारी स्वाट/सर्विलांस मय टीम ।

